श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

क्रमांक : सीएस/श्रीकनकृमवि/2019/2785 दिनांक 8/1/2019

निविदा

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर में कैन्टीन के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्मों/ठेकेदारों से सीलबन्ध निविदाएं दिनांक 17.01.2019 को प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित प्रार्थना पत्र में आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन प्रातः 11.30 बजे कीट विज्ञान विभाग में महाविद्यालय कैन्टीन कमेटी के समक्ष खोली जायेगी, कैन्टीन का आवंटन साक्षात्कार के आधार पर चयनित सफल निविदादाता को किया जायेगा।

संयोजक,
महाविद्यालय कैन्टीन कमेटी

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमान् वित्त–नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. श्रीमान् कोषाधिकारी, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
3. समस्त सदस्य, महाविद्यालय कैन्टीन समिति।
4. प्रभारी, लेखा शाखा।
5. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर लेखहै कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट **www.sknau.ac.in**पर अपलोड करावें।

संयोजक,
महाविद्यालय कैन्टीन कमेटी

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

निविदा फार्म

फोटो

1. ठेकेदार / फर्म / व्यक्ति का पूरा नाम व पत्ता ....
   (दस्तावेज संलग्न करे)

सामग्री की दरों का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मापदण्ड / विवरण	दर (रू. में)
1.	चाय प्रति कप (चाय की पत्ती अच्छी गुणवता की होनी चाहिए)	150 मिली.	
2.	कॉफी प्रति कप	150 मिली.	
3.	समौसा / कचोरी / ब्रेड पकोड़ा प्रति नग	70 ग्राम (उच्च श्रेणी के खाद्य तेल से निर्मित होना चाहिए)	
4.	कैन्टीन किराया प्रतिमाह	–	

उपरोक्त सामग्रियों के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य सामग्री सुविधा के अनुसार उपलब्ध करना अनिवार्य होगा, जिसकी दरें बाजार में प्रचलित दरों के अनुसार रखनी होगी, तथा महाविद्यालय के द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार चाही गयी सामग्री उपलब्ध करवानी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय फर्म को सील

श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय, जोबनेर

कैन्टीन चलाने की शर्तें

1. निविदा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी, अन्य किसी फार्म पर भेजी गई निविदा अस्वीकार होगी। धरोहर राशि रू. 200/– के रूप में निविदा के साथ जमा करानी होगी।
2. निविदा सम्बन्धी किसी भी प्रकार की काउन्टर शर्त मान्य नहीं होगी।
3. धरोहर राशि के अभाव में निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
4. निविदा में किसी प्रकार की कांट–छांट नहीं होनी चाहिए।
5. कैन्टीन में फर्म द्वारा अधिकृत कर्मियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति को बिना स्वीकृति आने नहीं दिया जाएगा।
6. कैन्टीन व उसके आस–पास की साफ–सफाई करवाना निविदादाता की जिम्मेदारी होगी।
7. कैन्टीन में कार्य करने वाले व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए एवं कार्य करने वालों के चरित्र आदि की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
8. महाविद्यालय द्वारा कैन्टीन में उपलब्ध कराये जाने वाले सामान, फर्नीचर, बर्तन इत्यादि की टूट–फूट एवं देखभाल की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
9. निविदादाता द्वारा लगाये गये कार्मिकों का व्यवहार विद्यार्थियों व कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। शिकायत मिलने पर महाविद्यालय प्रशासन निविदादाता के विरूद्ध कार्यवाही करेगा।
10. कार्य संतोषजनक नहीं होने पर अनुबन्ध को निरस्त करने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।
11. अवकाश के दिन कैन्टीन बन्द रहेगी और आवश्यकतानुसार खोलनी पड़ेगी।
12. खाद्य पदार्थों की रेट लिस्ट कैन्टीन में 3–4 जगह लगानी होगी व एक प्रति महाविद्यालय प्रशासन को उपलब्ध करवानी होगी।
13. कैन्टीन का किराया न्यूनतम रू. 2,000/– प्रति माह से अधिक देने वाले निविदादाता को कैन्टीन चलाने की स्वीकृति दी जावेगी।
14. निविदादाता द्वारा बनाये गये/लाए गये सामान की शुद्धता की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
15. समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थ बनाने में उत्तम गुणवत्ता का सामान ही काम में लेना होगा।
16. ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा, आवश्यकतानुसार ठेका बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
17. कैन्टीन में नाबालिग उम्र (18 वर्ष के कम) का व्यक्ति नहीं रखा जायेगा।
18. निविदादाता को बिजली/पानी का खर्चा स्वयं अपने स्तर पर जमा कराना अनिवार्य होगा।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को बतौर अमानत राशि रू. 10,000/– जमा करानी अनिवार्य होगी।
20. अनुबन्ध पत्र रू. 100/– के स्टाम्प पर देना होगा।